[2020] 1 एस. सी. आर 644

मेसर्स जेड अभियंत्रण निर्माण प्राइवेट एवं अन्य

बनाम्

बिपिन बिहारी बेहरा एवं अन्य

सिविल अपील संख्या 1627/2020

14 फरवरी, 2020

[एस. अब्दुल नजीर और हेमंत गुप्ता, न्यायाधीशगण]

स्टाम्प अधिनियम, 1899 (उड़ीसा अधिनियम सं.1/2003) द्वारा संधाधित) लागू तिथि 20.01.2003 के प्रभाव संसोधित धारा 35 अनुच्छेद 23- दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908-आदेश XIII नियम-8-अपर्याप्त स्टाम्प शुल्क के लिए एक दस्तावेज़ (पावर ऑफ अटॉर्नी) को जब्त करना-वादी द्वारा बँटवारा के लिए दायर मुकदमा-पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों (वादी साक्षी सं.-1) के माध्यम से उत्तरदाता-पीडब्लू-1 की प्रतिपरीक्षा के दौरान, अपीलकर्ताओं ने इसके तहत आवेदन दायर किया। आदेश XIII नियम-8 पावर ऑफ अटार्नी (पी. ओ. ए.) को इस आधार पर जब्त करना कि ऐसे पावर ऑफ अटार्नी को उड़ीसा राज्य में संशोधित स्टाम्प अधिनियम के धारा 23 के अंतर्गत हस्तांतरण के रूप में माना जाना चाहिए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उन पर अपर्याप्त रूप से मुहर लगाई गई थी और इसलिए, स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 के अनुसार, पी. ओ. ए. जब्त किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं और जब तक उचित स्टाम्प शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक उन्हें साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता है-निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए आवेदन को खारिज कर दिया कि चूंकि यह एक पंजीकृत दस्तावेज है, इसलिए इस पर उचित रूप से मुहर लगाई गई है-अभिनिर्धारित किया।यह प्रश्न कि क्या ऐसे पी. ओ. ए. के निष्पादन के समय या बाद में कब्जा हस्तांतरित किया गया था, एक तथ्य का प्रश्न है जिसका

निर्णय न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय के समय, पक्षकारों द्वारा साक्ष्य के नेतृत्व के बाद किया जाना आवश्यक है, न कि केवल पी. ओ. ए. में पाठ के आधार पर-ऐसी प्रक्रिया उड़ीसा अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष और उचित होगी-प्रस्तुत/वर्तमान मामले के तथ्यों में, पी. ओ. ए. पर स्टाम्प शुल्क में कमी से संबंधित आपत्ति, जिसे अपीलकर्ताओं ने हस्तांतरण होने का दावा किया था, पी. ओ. ए. के संदर्भ में कब्जे के वितरण के संबंध में निष्कर्ष पर निर्भर करेगी-आम तौर पर कहने के लिए, इस तरह की आपत्ति का निर्णय आगे की कार्रवाई से पहले किया जाना आवश्यक है - हालांकि, ऐसे मामले में जहां दस्तावेज़ की प्रकृति को निर्धारित करने के लिए सबूत की आवश्यकता होती है, मुकदमे में अंतिम निर्णय के समय अपर्याप्त स्टाम्प शुल्क के लिए दस्तावेज़ की स्वीकार्यता को स्थगित करना उचित है-इसलिए, निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया गया है-अपर्याप्त रूप से स्टाम्प होने के कारण दस्तावेज़ की स्वीकार्यता की आपत्ति पर निर्णय लेने के लिए मामला निचली अदालत को वापस भेजा गया-भारतीय स्टाम्प (उड़ीसा) संशोधन अधिनियम, 2003।

अपील का निपटारा कर और मामले को निचली अदालत में भेजकर,

अदालत ने कहाः निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने पावर ऑफ अटॉर्नी को सिर्फ इस निष्कर्ष के साथ वापस कर दिया और कहा कि चूंकि यह एक पंजीकृत दस्तावेज है, इसलिए इस पर ठीक से मुहर लगाई गई है। लेकिन यह सवाल कि क्या उड़ीसा अधिनियम द्वारा अंतःस्थापित स्पष्टीकरण के संदर्भ में, इस तरह के पावर ऑफ अटार्नी पर हस्तांतरण के रूप में मुहर लगाई जा सकती है, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी के निष्पादन के समय कब्जे की डिलीवरी की जाती है या इसके बाद जांच नहीं की गई।यह प्रश्न कि क्या इस तरह के पावर ऑफ अटॉर्नी के निष्पादन के समय या बाद में कब्जा हस्तांतरित किया गया था, एक तथ्य का प्रश्न है जिसका निर्णय अंतिम निर्णय के समय न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है, पक्षकारों द्वारा साक्ष्य के प्रस्तुति के बाद और न कि केवल पावर ऑफ अटॉर्नी में पाठ के आधार पर। भारतीय स्टाम्प (उड़ीसा) संशोधन अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के मुताबिक ऐसी प्रक्रियाएँ निष्पक्ष एवं उचित होगी। [कंडिका 11,12] [650-ई-जी]

आर. वी. ई. वेंकटचाला गौंडर बनाम अरुलमिगु विश्वेसारस्वामी एवं वी. पी. मंदिर और अन्य (2003) 8 एससीसी 752:[2003] 4 पूरक एस. सी. आर. 450-लागू नहीं होता है।

एल. आर. वी. द्वारा राम रतन (मृत)बजरंग लाल और अन्य। (1978) 3 एससीसी 236:[1978] 3 एस. सी. आर. 963; ओमप्रकाश बनाम लक्ष्मीनारायण एवं अन्य (2014) 1 एससीसी 618:[2013] 9 एससीआर 923; बिपिन शांतिलाल पांचाल बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य (2001) 3 एस. सी. सी 1:[2001] 2 एस. सी. आर. 29-संदर्भित।

संदर्भित न्याय-निर्णयन

[1978] 3 एससीआर 963		कंडिका 7
[2013] 9 एससीआर 923		कंडिका 8
[2003] 4 पूरक एससीआर 450	अनुप्युक्त घोषित किया गया	कंडिका 9
[2001] 2 एससीआर 29		कंडिका 10

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल अपील संख्या 1627/2020

सिविल (विविध) याचिका सं. 1534/2018 में उड़ीसा उच्च न्यायालय कटक के दिनांक 24.01.2019 के निर्णय और आदेश से। उच्च न्यायालय के दिनांक 24.01.2019 के निर्णय और आदेश से।

श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता, अनिरुद्ध संगनेरिया, सत्य स्मृति मोहंती, सुश्री श्रुति अग्रवाल, अधिवक्ता अपीलार्थियों के लिए।

विकास धवन, एस. पी. दास, लक्ष्य, कौस्तुभ शुक्ला, अधिवक्ता उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय दिया गया द्वारा न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता।

<u>निर्णय</u>

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. वर्तमान अपील में 24 जनवरी 2019 को उडीसा हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है जिसके द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया गया था, जो कि दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 13 पिश्म 8 के अंतर्गत मुख्तारनामा की शक्ति (पर्दश 4 एवं 5) को जब्त करने के लिए दायर किया गया था ।

3. वादी / प्रत्यर्थियों ने अपने मुख्तारनामा धारक किशोर चन्द्र बेहेरा (अ. सं. 1) द्वारा विभाजन हेतू मुख्तारनामा दायर किया। अ. सं. 1 के जिरह के दरम्यान, वर्तमान अपीलकर्तागण संहिता के आदेश नियम XIII नियम 8 के अंतर्गत एक आवेदन देकर प्रर्ददश 4 एवं 5 पर प्रस्तुत मुख्तारनामा को जब्त करने का इस कारण गुहार लगाया कि ऐसे मुख्तारनामा भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुच्छेद के अधीन परिचालन के रुप में व्यवहरित किया जाय जैसा कि उडीसा अधिनियम संख्या 1/2003 के द्वारा 20 जनवरी 2003 के प्रभाव से संशोधित किया गया है। संशोधित सूची आई.ए. निम्न रुप से पठनीय हैः-

सूची आइ.ए.

23	धारा 2 (10) के द्वारा परिभाषित संचालन जो कि अन्तरण नहीं है को संख्या-62 के अंतर्गत धारित या मुक्त किया जाता है।	
	(क) चल संपत्ति के परिपेक्ष्य में	प्रक्रामन्य में मान्य राशि का चार प्रतिशत निर्धारित है
	(ख) अचल संपति के परिपेक्ष्य/संर्दभ में	उसमें ऐसे परिचालन के लिए मान्य राशि/मूल्य 8 प्रतिशत है या सम्पत्ति का चिन्हित/बाजार मूल्य 8

प्रतिशत निर्धारित है जिसमें जो भी अधिक हो।

xxx xxx

व्याख्या - इस अनुच्छेद के उद्देश्य के लिए किसी अचल संपत्ति या मुख्तारनामा के समय पर पश्चात व्रिकय का अनुबंध का परिचालन समझा जाएगा और उस पर तद्नुसार स्टाम्प प्रभार्य होगा बशर्ते कि इस तरह का अनुबंध/समझौता या मुख्तारनामा के अनुसरण में किसी परिचालन के कार्यान्यिवन के समय समायोजन परिचालन के शुल्क की कुल राशि की मात्रा पर किया जाएगा।

4. उसी प्रकार अधिनियम के अनुच्छेद 48 का उपबंध (एक) को लाया गया जो स्टाम्प शुल्क के कर पर विचार करने के पश्चात् परिचालन के लिए लाया गया है जब ऐसे मुख्तारनामा को विचारार्थ दे कर मुख्तारनामा वाहक को अचल सम्पत्ति बेचने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

5. 21.02.2011 का मुख्तारनामा को पर्दश-4 पर साक्ष्य के रुप में अध्सं.-1 किशोर चन्द्र बेहेरा के द्वारा उपस्थापित किया गया। इसका प्रस्तुत अपीलार्थीयों द्वारा विरोध किया गया। दूसरा 04.10.2008 का मुख्तारनामा जिसे प्रदर्श-5 पर 07.08.2018 का साक्ष्य के रुप में उपस्थापित किया गया था, को भी प्रस्तुत अपीलार्थीयों के द्वारा पुनः विरोध किया गया । अ. सं.-1 के ब्यान से लिया गया साक्ष्य का प्रासंगिक भाग निम्निलिखित रुप से पठनीय हैः-

"15. ... यह 21.02.2011 का मूल सामान्य मुख्तारनामा है जिसे प्रदर्श-4 (विरोध के साथ) बनााया गया।

16. यह 04.10.2008 का मूल सामान्य मुख्तारनामा है जिसका क्रमांक 10676 है को प्रदर्श 5 (विरोध के साथ) बनाया गया।"

6. यह अतः अपीलार्थीयो के द्वारा 03.09.2018 को दायर किया हआ आवेदन है जिसके द्वारा दोनों मुख्तारनामा को जब्त करने के लिए निर्देश की प्रार्थना अपर्याप्त शुल्क लगाने के आधार पर करता है। अतः अधिनियम की धारा 35 के मद्देनजर, वह जब्त करने के लायक है और साक्ष्य में उसे तभी स्वीकार किया जा सकता है जब उस पर पर्याप्त स्टाम्प शुल्क एवं दण्डभार चुकाया/अदा किया जाए। यह तर्क दिया गया है कि अधिनियम जो उडीसा राज्य में संशोधित किया गया है के मद्देनजर मुख्तारनामा को संचालक/वाहक के रुप में व्यवहारित किया जाएगा अगर दखल का अंतरण पहले या मुख्तारनामा के कार्यन्वयन के समय या वाद में किया जा सकता है। यह विरोध करते हुए यद्यपि कहा गया है कि मुख्तारनामा के संचयी अध्ययन यह दर्शाता है कि इरादा/उद्देश्य जमीन विक्रय करने का मुख्तारनामा वाहक को स्पष्ट अधिकार प्रदान करना है। यद्यपि, सच्चाई यह है कि मुख्तारनामा वाहक को जमीन का कब्जा अंतरण करना स्वीकार किया गया है जब मुख्तारनामा अ.सं. - 1 के रुप में उपस्थित हुआ। अतः अनुच्छेद 23 की व्याख्या के मद्देनजर यह है कि मुख्तारनामा को जब्त/दंडित किया गया है और तब तक उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक पर्याप्त स्टाम्प शुल्क न दिया जाता हो ।

7. राम रतन (मृतक) द्वारा विधिक प्रतिनिधिगण बनाम् बजरंग लाल एवं अन्य में प्रतिवेदित निर्णय में किसी दस्तावेज की स्वीकार्यता के संदर्भ में प्रश्न को इस कारण परिक्षित किया गया कि यह विधिवत् स्टाम्प लगाया एवं पंजिकृत नहीं था । विद्वान विचारण न्यायालय ने यह पुष्टि किया कि दस्तावेज का विरोध किया गया एवं विरोध के चलते स्वीकृत किया गया । हालाँकि विद्वान विचारण न्यायालय, तर्क-वितर्क के अवस्था में दस्तावेज पर विचार करने को अधिनियम की धारा 36 का शरण लेते हुए अस्वीकार कर दिया । यह न्यायालय पााया कि अधिनियम की धारा 36 सिर्फ तब अपना भूमिका अदा कर सकेगा जब अपर्याप्त स्टाम्प शुल्क का विरोध को न्यायिक रुप से अवधारित किया गया हो। क्योंकि विरोध उठाया गया था जिसे अभी तक न्यायिक रुप से अवधारित नहीं किया गया था, अधिनियम की धारा 36 के तहत् शरण लेना मान्य नहीं था, यद्यपित साक्ष्य के समय विरोध उठाया/किया गया था।

8. ओम प्रकाश बनाम् लक्ष्मी नारायण एवं अन्य ने प्रत्यर्थी दावा किया कि उसे विक्रय विलेख के अनुबंध के आधार पर कब्जा दिया गया था । प्रतिवादी कब्जा देने की बात को ठुकरा दिया। यह प्रश्न जिसे परिक्षित किया गया कि क्या पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की मान्यता दस्तावेज पर दिये गये प्रपठन पर निर्भर करेगा या कि मध्य प्रदेश द्वतीय संशोधन किया हुआ स्टाम्प अधिनियम 1990 में संशोधित अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित परिचालन के रुप में दस्तावेजों पर विचार किया जायेगा। मध्य प्रदेश अधिनियम में संशोधन उडीसा अधिनियम संख्या 1/2003 में किये गये संशोधन के समान ही है । उच्च न्यायालय प्रत्यर्थी का आवेदन स्वीकार किया और स्टाम्प् शुल्क की माँग को, विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश को दस्तावेज का परिचालन मानते हुए ध्वस्त कर दिया। उपर्युक्त मामले में भिन्नता का प्रश्न यह है कि विक्रय अनुबंध में प्रत्याशित खरीदार को दखल कब्जा दिया गया कहा गया था। यह न्यायालय निम्नलिखित को अभिनिर्धारित किया हैः-

> "16. उपर्युक्त प्रावधान के सरल पठन से यह स्पष्ट होता है कि परकाम्य प्राप्त करने का कोई अधिकार किसी भी दस्तावेज में, को तब तक स्वीकार्य नहीं करेगा जब तक कि उस पर उचित रुप से मुहर न लगा दी जाय। सम्यक रुप से बिना मुहर लगाये किसी लिखित को शुल्क के भुगतान पर परकाम्य के रुप में स्वीकार किया जाएगा जिसके साथ में वह प्रभार्य या अपर्याप्त मुहर लगाये किसी लिखित के मामला में, दंड के साथ में इस तरह के शुल्क को पूरा निर्माण के लिए आवश्यक मात्रा जैसा कि हमने पहले देखा है कि विलेख अनुबंध पर अपर्याप्त रुप से स्टाम्प लगाया गया था, जो प्रमाण में अस्वीकार्य था । अदालत प्राधिकार होने के नाते दस्तावेज को साक्ष्य के रुप में प्राप्त कर उसे प्रभावशाली बनाता है, कब्जा के साथ बेचैन का अनुबंध एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके लिए परिचालन विलेख पर लागू स्टाम्प शुल्क का भुगतान आवश्यक होता है । आवश्यक रुप से शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है और इस तरह निचली अदालत इसे साक्ष्य में अस्वीकार्य है ।"

9. प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता इस न्यायालय के निर्णय जो आर. भ. ई. वेकंटचला गोउन्डर बनाम अरुलमीगू विश्वेश्वर स्वामी एवं मी. पी. मन्दिर एवं अन्य में प्रतिवेदित

है, पर भरोसा जताते हुए विरोध किया है कि स्वीकार्यता के दस्तावेजी साक्ष्य को दो वर्गो में विभाजित/ वगीर्कृत किया जा सकता है (i) जहाँ आपत्ति साक्ष्य के दस्तावेज में ग्राहयता पर विवाद नहीं हो किन्तु उसे अनियमित या अस्वीकार्य अभिकथित करने वाले सबूत के तरीके की ओर निर्देशित करता है एवं (ii) जहाँ दस्तावेजी साक्ष्य ही स्वीकार्यता को विवादित करने का विरोध नहीं हो लेकिन प्रमाण के तरीके की ओर निर्देशित हो, जिस पर अनियमिति और अपर्याप्त होने का इशारा करता हो। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इस तरह के आपत्तियों को तब उठाया जाना आवश्यक होता है जब संहिता के आदेश XIII नियम 4 के प्रावधानों के मद्देनजर दस्तावेज को साक्ष्य में स्वीकार्य किया गया हो। यद्यपि कथित निर्णय दस्तावेज को जब्त करने की संबंध में विरोध कि अधिनियम के अंतर्गत स्टाम्प शुल्क अपर्यापत है से नहीं निपटता है। अतः ऐसे निर्णय प्रस्तुत वाद के मद्देनजर लागू नहीं होता है।

10. प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता एक अलग निर्णय को उदृत करता है जो विपिन शान्तिलाल पंचल बनाम् गुजरात राज्य एवं अन्य में प्रतिवेदित है जिसमें प्रत्यर्थी स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी प्रमाण अधिनियम के अंतर्गत अपराध के लिए विचारण का सामना कर रहा था। विचारण के दरम्यान, विचारण न्यायालय/अदालत दस्तावेजों की स्वीकार्यता या अन्य साक्ष्य के वस्तओं के प्रश्नों को निर्णयित करना चुना था जब उसका विरोध किया गया था। न्यायालय पाया कि यह प्राचीन प्रथा है कि जब कभी भी कोई विरोध साक्ष्य के वस्तु प्रदर्त की स्वीकार्यता पर उठाता है, न्यायालय ऐसे विरोध पर आदेश पारित करने के लिए आगे नहीं बहरा है। न्यायालय पाया कि ऐसे विरोध पर दिया गया निर्णपय अपील या पूर्ण निरीक्षण वाद में द्वारा चुनौती दिया जाता है जिससे विचारण की प्रक्रिया में गैर जरुरी देर होता है। ऐसा चलन एक बाधा साबित होता है जो कार्यवाही के प्रगति में बाधक एवं रोडा बनता है। ऐसे कार्यवाही में सुधार किया जाए ताकि विचारण कार्यवाही में गति प्रसस्त किया जा सके। अतः न्यायालय निम्नलिखित अभिनिर्धारित करता हैः-

> "14. जब ऐसा परिवर्तन लाया जाए, वो ऐसा प्रचलन जो इसका अच्छा विकल्प बन सकेः जब कभी मौखिक साक्ष्यकर्ता वस्तु या चीज की स्वीकार्यता के संदर्भ में साक्ष्य लेने के दरम्यान विरोध किया जाए, विचारण न्यायालय ऐसे विरोध का एक नोट बना सकता है और विरोधित दस्तावेज को जब कमी हो प्रदर्श के रुप में वाद में चिन्हिहित किया जा सकता है बशर्ते

> अंतम निर्णय की अंतिम अवस्था में विरोधात्मक तथ्यों पर निर्णय किया जा सके। अगर न्यायालय अंतिम अवस्था में यह पाता है कि उठाये गया विरोध लायक है, न्यायाधीश या दंडाधिकारी वैसे विचाराधीन तथ्यों से अलग हटकर साक्ष्यों को संग्रहित कर सकता है । मेरे विचार से ऐसे माध्यम/रास्ता को अपनाना न्यायविरुद्ध नहीं है । (यद्यपि हमलोग यह स्पष्ट करते है कि अगर विरोध दस्तावेज में दिये गये स्टाम्प शुल्-क में कमी से संबंधित हो, न्यायालय उस विरोध को, कार्यवाही आगे बढाने के पहले निर्धारित करना होगा। और अन्य विरोधों के लिए उपर्युक्त बतायेंगे प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है)"

11. हमलोग पाते हैं कि विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय मुख्तारनामा की शक्ति को सिर्फ पठन के पश्चात पाये गये परिणाम को लौटा दिया एवं यह देखा कि यह एक निबंधित दस्तावेज है, अतः उसमें उचित रुप से स्टामप लगया गया है। लेकिन उडीसा अधिनियम के द्वारा संकलित व्याख्या के विचार से यह प्रश्न उठता है, ऐसे मुख्तारनामा परिचालन के रुप में स्टाम्प शुल्क देने के योग्य है एवं मुख्तारनामा के कार्यान्वियन के समय दखल कब्जा देने के कारण और उसके बाद उसका परीक्षण किया जा चुका है।

12. हमलोग पाते हैं कि मुख्तारनामा का समय पर या इसके अंतरण के पश्चात् का प्रश्न में जिसे न्यायालय द्वारा पूर्णतः निर्णयित करना था, जब पक्षों पक्षकारों द्वारा केवल मुख्तारनामा के प्रकथन के आधार पर लाये गये साक्ष्य के आधार पर। उडीसा अधिनियम के प्रावधानों के मद्देनजर ऐसा प्रक्रिया साफ-सुथरा एवं विवेकपूर्ण योग्य होगा।

13. हमलोग पाते हैं कि प्रस्तुत वाद के तथ्यों में, स्टाम्प शुल्क का मुख्तारनामा पर कमी का विरोध जिस पर अपीलार्थीगण संचालन का दावा करते हैं, दखल कब्जा देने के निष्कर्ष पर निर्भर करता है । समान्यतः बोल-चाल की भाषा में ऐसा विरोध पर आगे बढने के पहले इसका निर्णयित होना आवश्यक है । यद्यपित वैसा वाद जिसमें दस्तावेज की प्रकृति को सुनिश्चित करने के लिए साक्ष्य की जरुरत हो, यह विवेकपूर्ण होगा कि मुकदमा में अंतिम निर्णय करने के समय दस्तावेज पर अपयार्प्त स्टाम्प शुल्क की ग्राह्यता/स्वीकार्यता से भिन्न मत रखना है।

14. अतः हम पाते है कि विचारण न्यायालय द्वारा 14.12.2018 का पारित आदेश एवं उच्च न्यायालय का 24.01.2019 का पारित आदेश ध्वस्त करने योग्य है । इस मामला को दस्तावेज पर अपयार्प्त स्टाम्प शुल्क होने के कारण दोनों पक्षों द्वारा लाये प्रमाणों से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर इसकी स्वीकार्यता का विरोध को विचारण न्यायालय द्वारा निर्णायित करने हेतू लौटाया जाता है। अपीलार्थीगण द्वारा 03.09.2018 को दायर किया गया आवेदन मुख्य मुकदमा के साथ-साथ निर्णयित किया जाएगा जब दख्ल कब्जा देने का प्रश्न मुख्तारनामा के कार्यान्वयन के समय या उसके वाद निर्धारित किया जाएगा।

15. उपरोक्त के आलोक में इस अपील का निपटान किया जाता है।

(एस. अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ति)

(हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ति)

नया दिल्ली

14 फरवरी, 2020

खण्डन (डिस्क्लेमर) :– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।